विद्युत लोकपाल
मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग
पंचम तल, ''मेट्रो प्लाज़ा'', बिट्टन मार्केट, अरेरा कालोनी, भोपाल

प्रकरण क्रमांक L00-05/15

श्री राजेन्द्र अग्रवाल — आवेदक
प्रो. मेसर्स बसंत केटल फीड इण्डस्ट्रीज
ग्राम भादली, कसरावद रोड
खरगौन (म.प्र.)

विरूद्ध

प्रबंध संचालक — अनावेदक
म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि.,
जीपीएच कम्पाउण्ड, पोलो ग्राउण्ड, इंदौर।

आदेश
(दिनांक 18.08.2015 को पारित)

01 विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, इंदौर के शिकायत प्रकरण क्रमांक W0288214 श्री राजेन्द्र अग्रवाल विरूद्ध प्रबंध संचालक, म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि. में पारित आदेश दिनांक 19.01.2015 के विरूद्ध उपभोक्ता की ओर से अभ्यावेदन 16.2.2015 प्रस्तुत किया गया है।

02 उभय पक्षों को दिनांक 17.8.2015 को सुनवाई के लिए बुलाया गया, जिसमें आवेदक तथा अनावेदक दोनों पक्ष उपस्थित हुए।

03 आवेदक द्वारा सुनवाई की तिथि दिनांक 17.8.2015 के पूर्व मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ताओं की शिकायतों के निराकरण हेतु फोरम तथा विद्युत लोकपाल की स्थापना) (पुनरीक्षण प्रथम) विनियम, 2009 की कंडिका 5.3 के तहत फोरम के आदेश से असंतुष्ट होकर माननीय विद्युत नियामक आयोग के सक्षम अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। इस अभ्यावेदन की जानकारी आवेदक द्वारा विद्युत लोकपाल कार्यालय को नहीं दी गई, जबकि माननीय विद्युत नियामक द्वारा उक्त प्रकरण में आदेश दिनांक 24.6.2015 द्वारा निर्णय दिया जा चुका है।

04 उपभ पक्षों को सुनवाई के दौरान माननीय विद्युत नियामक आयोग के आदेश दिनांक 24.6.2015 से अवगत कराया गया तथा आयोग आदेश की प्रतिलिपि भी उन्हें प्रदाय की गई।

05 चूंकि उक्त प्रकरण में माननीय विद्यत नियामक आयोग द्वारा निर्णय दिया जा चुका है, इसलिए इस कार्यालय द्वारा आवेदक के अभ्यावेदन पर कार्यवाही न करते हुए प्रकरण समाप्त किया जाता है।

06 आदेश की प्रति के साथ फोरम का अभिलेख वापस हो । आदेश की निशुल्क प्रति पक्षकारों को दी जाए ।

विद्युत लोकपाल

प्रतिलिपि :

1. आवेदक की ओर प्रेषित ।
2. अनावेदकगण की ओर प्रेषित ।
3. फोरम की ओर प्रेषित ।

विद्युत लोकपाल